

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास - श्री उम्मेदसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 15/2012/राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. पुरुषोत्तम पि. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण नि. पिडावा तहसील पिडावा
2. बालमुकन्द पि. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण नि. पिडावा तहसील पिडावा

- प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट

उपस्थिति - वकील अप्रार्थी - श्री रमेशचन्द सोनी

पेरोकार सरकार - तहसीलदार पिडावा

निर्णय

दिनांक : 18/03/2021

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2066-69 के खाता स. 404 की आराजी किता 26 रकबा 71 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से ख.नं. 33, 47, 49, 1626/119, 125, 1628/126, 128, 127, 148, 125/1610 किता 8 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा भूमि के संबंध में लेण्ड रेवन्यु एक्ट की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री पदमनाथ जी खातेदारी की है एवं प्रार्थी के पिता को पूजा , देखरेख , साफ सफाई इत्यादि कार्य करने हेतु जीविका उर्पाजन हेतु दी गई थी एवं भगवान पदमनाथजी के साथ बतौर कृषक पूजारी लक्ष्मीनारायण पि. भवानीशंकर ब्राहमण का नाम खातेदारी में दर्ज किया गया था जिसका भू.प्रबंध विभाग द्वारा सं. 2022-41 में प्रार्थीगण के पिता के नाम पट्टा भी जारी किया गया था। प्रार्थी के पिता जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने एवं उसके बाद प्रार्थीगण द्वारा भगवान पदमनाथ जी पूजा , देखरेख, साफ सफाई, खिदमत इत्यादि कार्य किये गये। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के पिता काबिज होकर काशत करते थे। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड सं. 2042-45 में प्रार्थी के पिता का नाम बतौर पूजारी व काबिज कृषक दर्ज है। राजस्व रिकार्ड से प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से लिपीकीय त्रुटी

COURT 2021

1

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़(राज.)



से बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये विलोपित कर दिया जो काबिल दूररती है। यह जानकारी प्रार्थी को खाते की नकल लेने पर हुई जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2066-69 के खाता सं. 404 की आराजी ख.नं. 33, 47, 49, 1626/119, 125, 1628/126, 128, 127, 148, 125/1610 किता 8 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा भूमि में बतौर पूजारी प्रार्थी का नाम दर्ज किया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी सं. 2066-69 के खाता सं. 404 , जमाबंदी सं. 2042-45 के खाता सं. 405 की नकले प्रस्तुत की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी परोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब करने पर परोकार सरकार जरिये नायब तहसीलदार पिडावा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्रा में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पिडावा की दिनांक 13.01.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मस्जिद, दरगाह, इमाम बाडा, कब्रस्तान और मकबरो की सम्पत्ति जिनमें मुआफी बिस्वेदारी, इनामीदारी दर्ज थी जिनको मुत बल्लियों व्यवस्थापको , खादिमों , मुजाविरो व देख रेख करने वालो के नाम दर्ज कर दी है उन्हे उचित कार्यवाही कर औकाफ के नाम दर्ज किया जावे। राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों अनुसार मंदिर, मस्जिद माफी की सम्पत्ति पर जमाबंदी में पूजारी का नाम दर्ज करने के बजाय तहसील स्तर पर एक रजिस्टर संधारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है जिसमें मंदिर, मस्जिद माफी की भूमि के पूजारी अथवा सेवादारो का नाम दर्ज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत पूजारी या सेवादार का नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण खारीज किया जाकर फैसल शुमार हो। संबंधित तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे कि तहसील स्तर पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एक रजिस्टर संधारित कर कार्यवाही सम्पादित की जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



COURT 2021

2

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला जालावाड़ (राज.)
पिडावा जिला जालावाड़ (राज.)